UPBL010031332026

**न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बलिया।**

**उपस्थितः अनिल कुमार झा, एच.जे.एस.**

द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०–1356/2026

बसन्त नरायन सिंह उर्फ अर्जुन सिंह पुत्र शमशेर बहादुर सिंह साकिन–शिवपुर नई बस्ती, थाना–दुबहड़, जिला–बलिया।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

**मु०अ०सं०–147/2024**
थाना–कोतवाली, जनपद–बलिया।
धारा–427, 419, 420, 467, 468, 471, 506 भा०दं०सं०

**दिनांक 23.07.2026**

**1–** यह द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रार्थी/अभियुक्त बसन्त नरायन सिंह उर्फ अर्जुन सिंह की ओर से मु०अ०सं०–147/2024 अंतर्गत धारा–427, 419, 420, 467, 468, 471, 506 भा०दं०सं०, थाना–कोतवाली, जनपद–बलिया में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी का यह द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना गुणदोष के आधार पर दिनांक 30.01.2025 को निरस्त किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मा० उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत की गई है, न निरस्त हुई है और न ही लंबित है।

**2–** प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

**3–** संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी जनार्दन यादव तथा अन्य हकीकी भाईजात संयुक्त रूप से मौजा शिवपुर दीयर गंगबरार सुमाली पट्टी, पिताम्बर सिंह परगना व जिला बलिया में स्थित आराजीयात नं0–400 रकबा 0.10 डि0, 401 रकबा 1.00 एकड व 404 रकबा 19–12–23 0.62–1/2 डि व 405 रकबा 0.46–1/2 डि कुल 4 गाटा रकबा 2.19 डि के असल मालिक व काश्तकार से कबाला दिनांक 18.11.1997 से कबाला लेकर उक्त भूमि पर बतौर कबालेदार काबिज दाखिल हो गये तथा कबाले के आधार पर कागजात सरकारी में बतौर संक्रमणीय भूमिधर काबिजदार नाम भी हो चुका है तथा अपनी सहूलियत के हिसाब से उक्त कबालासुदा भूमि पर फसल आदि काश्त करते चले आ रहे है व इस समय भी है। इधर बसन्त नारायण सिंह उर्फ अर्जुन सिंह पुत्र शमशेर बहादुर सिंह अपने हेली मेली व मददगार व्यक्तियों हरेन्द्र यादव, वीरेन्द्र यादव व उमेश यादव को लेकर प्रार्थी अपनी भूमिधरी की भूमि पर जो फसल नसब किये गये थे उसे विनष्ट करने लगे तथा जबरदस्ती कब्जा करने लगे जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थी अपने साथ गांव के ही लल्लन यादव, राजेन्द्र यादव व कृष्णा कुमार यादव पुत्र स्व हीरालाल यादव व सत्येन्द यादव पुत्र सुदामा यादव व्यक्तियों को लेकर विवादित भूमि पर पहुंचा तो उपरोक्त को उनके नाजायज कार्य करने से रोका तो बसन्त नारायण सिंह उर्फ अर्जुन सिंह तथा उनके साथ आये हुए उपरोक्त लोगों द्वारा प्रार्थी को चारो तरफ घेर लिये तथा भला बुरा कहते हुए कहे कि जो तुमको भूमि हिस्सा 50 डि का कबाला मैंने किया है उक्त भूमि हमारी न होकर उक्त भूमि यानि 50 डि श्रीमती रिकी सिंह पत्नी स्व० कामाख्यानन्द सिंह की है जो हमने फर्जी व फरेबाना ढंग से तुमसे रूपया कमाने व हड़पने की नियत से कबाला किया है जो तुमसे उक्त भूमि का नकद रूपया प्राप्त किया है उसे तुम्हें वापस भी नहीं करेगे तथा भूमि पर कब्जा रिंकी सिंह उपरोक्त को करा देगें तथा तुम्हारे द्वारा नसब किये गये फसल को बर्बाद कर देंगे

Digitally signed by ANIL KUMAR JHA
Date: 2026.07.23 18:29:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

तथा तुम विवादित भूमि से अपने साथ आये व्यक्तियों को लेकर चले जाओ नहीं तो तुमको व तुम्हारे साथ आये व्यक्तियों को जान से मारकर इसी भूमि में गड़वा देंगे।

**4–** प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है तथा निर्दोष है। आवेदक द्वारा मा० उच्च न्यायालय में याचिका सं०–3070/2025 के तहत पुलिस रिपोर्ट दाखिल किए जाने तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया गया तथा उसका पालन किया गया है। अग्रिम जमानत प्राप्त होने पर बीमारी से ग्रसित हो गया जिसका दवा ईलाज वाराणसी में हुआ जिसकी प्रति संलग्न है। आरोप पत्र आने के बाद कोई समन का तामिला नहीं हुआ तथा बिना जमानतीय वारण्ट का आदेश पारित हो गया है जिसमें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की प्रबल आशंका है। आवेदक दौरान परीक्षण, आरोप विरचित होने, साक्ष्य होने तथा 313 जा०फौ० के बयान के समय व्यक्तिगत रुप से उपस्थित रहेगा। अतः प्रार्थी को अग्रिम जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

**5–** राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है । उसके द्वारा जानबुझकर न्यायालय की प्रकिया से भाग रहा है एवं विलम्बित कर रहा है। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

**6–** पक्षों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया। यह मुकदमा वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–156(3) दं०प्र०सं० पर न्यायालय के आदेश के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त बसन्त नरायन सिंह उर्फ अर्जुन सिंह व अन्य सह–अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा–427, 419, 420, 467, 468, 471, 506 भा०दं०सं० में मुकदमा पंजीकृत हुआ। बाद विवेचना विवेचक द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अंतर्गत धारा–427, 419, 420, 467, 468, 471, 506 भा०दं०सं० में आरोप पत्र दिनांक 16.01.2026 को न्यायालय में प्रेषित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत आरोप पत्र दाखिल किए जाने तक ही स्वीकृत किया गया था। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किए जाने के बाद उसकी उपस्थिति हेतु न्यायालय से समन दिनांक 12.02.2026 के लिए जारी हुआ। परन्तु प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं आया एवं उसके अनुपस्थिति के कारण उसके विरुद्ध बी०डब्ल्यू० दिनांक 03.04.2026 को जारी किया गया। इसके बावजूद भी प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं आया, जिसके कारण प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 01.06.2026 को एन०बी०डब्ल्यू० जारी हुआ। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त जाबुझकर न्यायालय उपस्थित नहीं आ रहा तथा न्यायालय की प्रक्रिया को विलंबित कर रहा है। यदि उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह पुनः न्यायालय की प्रक्रिया को लंबित करेगा।

आदेश पत्रक के मार्जिन पर अभिलिखित सत्र लिपिक की आख्यानुसार प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.01.2025 को मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा गुणदोष के आधार पर निरस्त किया जा चुका है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रार्थी/अभियुक्त का आचरण को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त को द्वितीय अग्रिम जमानत पर अवमुक्त किए जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

**आदेश**

प्रार्थी/अभियुक्त बसन्त नरायन सिंह उर्फ अर्जुन सिंह का उपरोक्त द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

**दिनांकः** 23.07.2026

**(अनिल कुमार झा)**
सत्र न्यायाधीश
बलिया
ID No. UP 06529

स्टेनो–बगदाद अली